रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 1978/माघ 26, 1899
No. 75] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 1978/MAGHA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1978

का. आ. 96(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 365(अ), दिनांक 23 मई, 1977, जो भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2), दिनांक 23 मई, 1977 के पृष्ठ 1981 से 1986 पर प्रकाशित हुई है, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुबन्ध II में—

(1) अभिकथन संख्या 7 में, "चावल" शब्द के स्थान पर "धान" शब्द रखा जाएगा ;

(2) अभिकथन संख्या 24 में, अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—" , और क्या राष्ट्रीकृत बैंकों में निधियों की जमा के संबंध में अनिवार्य नियमों के विरुद्ध बैंकों और कर्नाटक होरी कार्पोरेशन की 50 लाख रुपये तक की निधियों को वृक्षिण भारतीय बैंक में जमा कराया , और क्या कुछ प्रतिफल के लिए श्री चिक्के गौड़ा के कहन पर वरालक्ष्मी-कपास बीजों की राज्य से बाहर अन्धाधुन्ध बिक्री कराई गई जिससे उत्पादकों को भारी हानि हुई , और क्या मंत्री द्वारा आर्थिक लाभों के अपने हित-साधन के उद्देश्य से श्री द्वारका नाथ और श्री नंजैया को कृषि-निदेशक और पशुपालन-निदेशक नियुक्त किया गया था , और क्या श्री चिक्के गौड़ा ने कृषि और पशुपालन विभागों द्वारा मशीनरी की खरीद के संबंध में मैसर्स बल्कन लावल और लार्सन एण्ड ट्यूबरो से उनके एजेंट श्री वी. वी. पार्थसारथी, श्रीमती सावला और श्री जोहन के माध्यम से कमीशन के रूप में निजी तौर से भारी रकमें प्राप्त की थीं ।"

(3) अभिकथन संख्या 25 में, 'श्री एम. बी. लाल और श्री एम. बी. वेंकटप्पा' शब्दों और अक्षरों के स्थान पर 'श्री एन. सी. माधवराज' शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

[संख्या 375/16/77-ए. वी. डी.-3]

रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 1978

S.O. 96(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 365(E), dated the 23rd May, 1977, published at pages 1977 to 1981 of the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 23rd May, 1977, namely :—

In the said notification, in Annexure-II—

(i) in allegation No. 7, for the word "rice" the word "paddy" shall be substituted ;

(ii) in allegation No. 24, the following shall be added at the end, namely :—" ; and in getting deposited funds of BAFCO and Karnataka Dairy Corporation to the tune of Rs. 50 lakhs in Southern Indian Bank against the mandatory rules relating to deposit of funds in nationalised banks; and whether Varalakshmi Cotton Seeds were indiscriminately sold outside the State at the instance of Shri Chikke Gowda for some consideration resulting in heavy loss to the growers; and whether Shri Dwarakanath and Shri Nanjaiah were appointed by the Minister as Director of Agriculture and Director of Animal Husbandry to suit his motive for making monetary gains; and further whether Shri Chikke Gowda received huge amounts privately as commission from Messrs. Vulcan Laval and Larsen and Toubro through their agents Mr. V. V. Parthasarthy, Mrs. Savla and Mr. John, in relation to purchase of machinery by the Agriculture and Animal Husbandry Departments."

(iii) in allegation No. 25, for the words and letters "Shri M. B. Lal and Shri M. V. Venkatappa", the words and letters "Shri N. C. Madhvaraj" shall be substituted.

[No. 375/16/77-AVD. III]

R. C. MISRA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978